392792,

संख्या– /IV(2)-शा0वि0–2026–10(सा0)/2020-(93114)

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून

8/5/26

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 07 ~~अप्रैल,~~ मई 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में 'नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद' हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी 'विनियोग अधिनियम 2026' पारित होने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में **'नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद'** हेतु प्राविधानित धनराशि **कुल रू0 19.44 लाख (रू0 उन्नीस लाख चवालीस हजार मात्र)** की निम्नवत् प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक 2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–07–नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद		
मानक मद	F.Y 2026-27 बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
07–मानदेय	8.64	8.64
23–किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2.80	2.80
29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	8.00	8.00
योग–	**19.44**	**19.44**

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. पूर्व माह के व्यय की सूचना व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 पर अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक शासन में उपलब्ध करायी जाय।

File No. 050301-3ACC/A/2/2026-Section 3-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE (Computer No. 48884)
Generated from eOffice by Asha Jaggi, Assist Acct - Asha, ASSITANT ACCOUNTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 13/08/2026 11:13 am

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष में सुसंगत मानक मदों में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण व्यय सुनिश्चित कर तदोपरान्त प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. अवचनबद्ध मदों में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।
6. व्यय करते समय अद्यतन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधियान नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।
8. धनराशि का नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरण तथा व्यय सुनिश्चित किया जाय।
9. कृपया वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतयां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 384289, दिनांक 01.04.2026 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन करने का कष्ट करें।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–07–नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषदके अन्तर्गत सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 384289, दिनांक 01.04.2026 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त। Allment ID- S26050130003,

भवदीय,

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 04-05-2026
19:46:57

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

File No. 050301-3ACC/A/2/2026-Section 3-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE (Computer No. 48884)
Generated from eOffice by Asha Jaggi, Assist Acct - Asha, ASSITANT ACCOUNTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 13/08/2026 11:13 am

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (आडिट)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साईबर, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 07-05-2026
11:21:47

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. 050301-3ACC/A/2/2026-Section 3-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE (Computer No. 48884)
Generated from eOffice by Asha Jaggi, Assist Acct - Asha, ASSITANT ACCOUNTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 13/08/2026 11:13 am

IFMS Uttarakhand

Print Date:-07/May/2026 11:59 AM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Manoj Chandra Misra
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 07-05-2026 11:59:49

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26050130003

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 07-MAY-2026

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	**80**	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	**07**	नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद
00	-		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	7	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	0	864000	0	864000
2	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	280000	0	280000
3	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	800000	0	800000
	योग	0	1944000	0	1944000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 19,44,000 (Rupees Nineteen Lacs Forty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2605:0001

Approval Status : e-Sign letter